

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/56/2022

राजि0 नं0 2022/101

प्रवेश तिथि 23.11.2022

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री प्रताप सिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस बहरोड  
तहसील बहरोड जिला अलवर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड  
अधिकारी नीमराना।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---: निर्णय :- -04.01..2023

1-अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना को आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।


2-अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3-अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जरिये नोटिस क्रमांक 973 दिनांक 28.11.2022 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 01.12.2022 को उपस्थित आवें।

4-अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 19.12.2022 जारी किया गया। किन्तु अपेक्षित पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नहीं की गयी है। जिसके फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नहीं की गयी है। अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)  
अलवर (राजि0)  
अलवर, (राज0)